



प्रेषक,

अरविन्द कुमार गिरि,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में 03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2026-27, दिनांक 02.04.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय-व्ययक के राजस्व मद में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय हेतु अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-001-03 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित कुल धनराशि **रु० 645.22 लाख (रूपये छः करोड़ पैतालीस लाख बाईस हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

001-निदेशन तथा प्रशासन-

03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय-

(रु० लाख में)

क्र.सं.	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	01-वेतन	300.00	300.00
2	02-मजदूरी	1.00	1.00
3	03-मंहगाई भत्ता	195.00	195.00

4	04-यात्रा-व्यय	2.00	2.00
5	05-स्थानान्तरण यात्रा-व्यय	0.20	0.20
6	06-अन्य भत्ते	1.00	1.00
7	07-मानदेय	0.25	0.25
8	08-कार्यालय-व्यय	6.00	6.00
9	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.25	3.25
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8.00	8.00
11	13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
12	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	15.00
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
14	18-प्रकाशन	3.00	3.00
15	42-अन्य व्यय	13.00	13.00
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	5.00
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6.00	6.00
20	49-चिकित्सा व्यय	8.00	8.00
21	51-वर्दी व्यय	0.52	0.52
22	55-मकान किराया भत्ता	20.00	20.00
23	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50.00	50.00
	योग	645.22	645.22

1. बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपद के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकण प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।
2. वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

3. किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया।
4. धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-170(1)/बावन-1-2026, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- 3- कीषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
- 5- वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार गिरि)
अनु सचिव।